2. Amendment of section 1.—In section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh, in sub-section 4, for the word "twenty" wherever occurs, the word "thirty" shall be substituted.

3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 and savings.—(1) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 फरवरी, 2022

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–10 / 2020–लेज.––भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 05–02–2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।

4. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।

5. उद्देश्य।

6. शक्तियां।

7. विश्वविद्यालय की अधिकारिता।

8. सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण।

9. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कतिपय संस्थानों की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण।

10. परिदर्शन।

11. कुलाधिपति की विश्वविद्यालय और इसके निकायों की कार्यवाहियों या विनिश्चयों को बातिल करने की शक्ति।

12. राज्य सरकार को जांच करने की शक्ति।

13. विश्वविद्यालय के अधिकारी।

14. कुलाधिपति।

15. कुलपति की नियुक्ति।

16. कुलपति को देय परिलाभ और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें।

17. कुलपति के पद में रिक्ति के दौरान कार्य की व्यवस्था।

18. कुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य।

19. प्रतिकुलपति।

20. प्रतिकुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य।

21. संकायाध्यक्ष।

22. रजिस्ट्रार।

23. परीक्षा नियन्त्रक।

24. वित्त अधिकारी।

25. अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य।

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

27. सभा।

28. सभा की शक्तियां और कृत्य।

29. कार्यकारी परिषद्।

30. विद्या परिषद्।

31. संकाय।

32. वित्त समिति।

33. वार्षिक लेखे।

34. दूरस्थ शिक्षा / पत्राचार पाठ्यक्रम।

35. स्वायत्त महाविद्यालय।

36. सहबद्धता की शर्तें।

37. परीक्षाएं और प्रवेश।

38. चयन समिति।

39. संविदा नियुक्ति।

40. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि।

41. वार्षिक रिपोर्ट।

42. परिनियम।

43. परिनियम कैसे बनाया जाए।

44. अध्यादेश।

45. विनियम।

46. आकस्मिक रिक्तियां।

47. रिक्तियों से विश्वविद्यालय, प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

48. सदस्यता से हटाया जाना और उपाधियों और डिप्लोमों आदि का वापस लिया जाना।

49. विवाद।

50. संक्रमणकालीन शक्तियां।

51. अस्थायी उपबन्ध।

52. कठिनाइयों को दूर करना।

53. प्रकीर्ण।

54. विश्वविद्यालय के किसी निकाय के गठन और कृत्यों में त्रुटि होने मात्र से कार्रवाई का अविधिमान्य न होना।

55. निरसन और व्यावृत्तियां।

———————

2022 का अधिनियम संख्यांक 3

सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2022 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, अध्यापन और उच्चत्तर शिक्षा पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**––इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विद्या परिषद्" से, धारा 30 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "स्वायत्त महाविद्यालय" से, यथास्थिति, महाविद्यालय, विभाग या कोई इकाई, अभिप्रेत है जो धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त महाविद्यालय घोषित की गई हो;

(ग) "महाविद्यालय" से, ऐसा संस्थान अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उसके विशेषाधिकार से अंगीकृत किया गया है;

(घ) "सभा" से, विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ङ) "कार्यकारी परिषद्" से, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् अभिप्रेत है;

(च) "संकाय" से, कार्यकारी परिषद् द्वारा गठित सहबद्ध विषयों के समूह से मिलकर बना संकाय अभिप्रेत है;

(छ) "छात्र निवास" या "छात्रावास" से, विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्थित, अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास स्थान की इकाई अभिप्रेत है;

(ज) "प्रबंध" से, विश्वविद्यालय से सहबद्ध प्राइवेट रूप से चलाए जा रहे महाविद्यालय का प्रबन्ध करने वाली प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध बोर्ड, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(झ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "प्रधानाचार्य" से, महाविद्यालय का मुखिया अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जब महाविद्यालय में कोई प्रधानाचार्य न हो, तो तत्समय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति, और प्रधानाचार्य या कार्यकारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, ऐसी हैसियत में नियुक्त उप–प्रधानाचार्य भी है;

(ठ) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" से, परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातक अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य सरकार" या ''सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ण) "शिक्षक" से, विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक जो आचार्य, सह–आचार्य या सहायक आचार्य के रूप में विद्या परिषद् द्वारा नियुक्त या इससे मान्यता प्राप्त हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मानव अनुसंधान और शिक्षा प्रसार हेतु नियुक्त आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अधिकारी भी है; और

(त) "विश्वविद्यालय" से, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.––(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम एक विश्वविद्यालय गठित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सभा, कार्यकारी परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और समस्त व्यक्ति, जो इसमें इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनते हैं, जब तक वे ऐसे पद धारित करते हैं या उनकी सदस्यता बनी रहती है, "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम से एतद्द्वारा गठित एक निगमित निकाय होगा, जिसका मुख्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना.––विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों, महिलाओं या पुरुषों दोनों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ जाति या वर्ग से हों, और उस दशा के सिवाय, जब विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी विशिष्ट उपकृति में उस उपकृति में किसी वसीयत या अन्य लिखत में ऐसा मापदण्ड उसकी शर्त के रूप में रखा हो, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को उसमें अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने का या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करने के या उसके किसी विश्वविद्यालय का उपभोग या उपयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता को मानदंड अंगीकार करना या किसी पर अधिरोपित करना विश्वविद्यालय के लिए विधिपूर्ण न होगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात अध्यादेशों में, विहित रीति में, धार्मिक शिक्षण उन व्यक्तियों को देने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो अपनी सहमति देते हैं।

5. **उद्देश्य.**––अध्यापन और अनुसंधान तथा इसके निगमित जीवन के उदाहरण और प्रभाव से ज्ञान, प्रज्ञान और बोध का प्रसार और अभिवृद्धि करना विश्वविद्यालय का उद्देश्य होगा और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय निम्नलिखित करेगा,–

(क) अध्यापन और अनुसंधान तथा शिक्षा विस्तार (प्रसार) प्रोग्रामों के माध्यम से विद्या और ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा ताकि विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा का लाभ उठाने में समर्थ हो सकें;

(ख) जीवन के हर क्षेत्र में उचित प्रकार के नेतृत्व की व्यवस्था करेगा;

(ग) विद्यार्थियों और अध्यापकों में देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और बोध का संवर्धन करेगा और उन्हें ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अन्तर–विषयक् अध्ययन के संवर्धन हेतु समुचित उपाय करेगा;

(ङ) भारत की सामाजिक संस्कृति का संवर्धन करेगा और भारत की भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के अध्ययन और विकास के लिए ऐसे विभागों या संस्थाओं की स्थापना करेगा जो अपेक्षित हों; और

(च) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए उपबन्ध करेगा।

6. **शक्तियां.**––विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिसमें पत्राचार पाठ्यक्रम भी है, में, जो विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार और विस्तारी शिक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(ख) निवेश–बाह्य अध्यापन और प्रसार सेवाओं का संचालन करना और जिम्मा लेना;

(ग) विश्वविद्यालय की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए सम्मिलित करना और ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना और उसके लिए शर्तें विहित करना;

(घ) परीक्षाएं लेना, व्यक्तियों को डिप्लोमें और प्रमाण–पत्र, उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विभिष्टताएं देना और ऐसे कोई डिप्लोमें, प्रमाण–पत्र, उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विभिष्टताएं समुचित और पर्याप्त कारण होने पर वापस लेना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विभिष्टताएं देना;

(च) ऐसे अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य पदों का, जो विश्वविद्यालय समय–समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, प्रदर्शनियां और पुरस्कार संस्थित करना और देना;

(ज) महाविद्यालयों, छात्र–निवासों और छात्रावासों को स्थापित और संचालित करना, विश्वविद्यालय द्वारा असम्पोषित छात्र–निवासों और छात्रावासों और छात्रों के निवास के अन्य स्थानों को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन करना और नियन्त्रण करना और ऐसी दी गई मान्यता वापस लेना;

(झ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(ट) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का अवधारण और व्यवस्था करना;

(ठ) किसी संस्था या उसके सदस्यों या विद्यार्थियों को किसी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसे समय–समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी दी गई मान्यता को वापस लेना;

(ड) विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के समरूप उद्देश्यों और प्रयोजनों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी लोक या निजी निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा करार पाया जाए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी समय–समय पर विहित की जाएं, सहकार करना;

(ढ) विश्वविद्यालयों में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के विरुद्ध न हो, कोई करार करना;

(ण) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय–समय पर विहित किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(त) विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ दान और अनुदान प्राप्त करना और हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति भी है, अर्जित, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का, ऐसी रीति जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(थ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, व्यवस्था करना;

(द) अनुसंधान और अन्य कार्य जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(ध) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उधार लेना;

(न) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना; और

(प) विश्वविद्यालय के किन्हीं या सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे आनुषंगिक या सहायक सभी कार्य करना जो आवश्यक हों।

7. विश्वविद्यालय की अधिकारिता.––(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियां, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य होगी ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय के

विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान को अनुदत्त कोई ऐसा विशेषाधिकार, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर वापिस लिया गया समझा जाएगा और ऐसे संस्थान को सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी के विशेषाधिकार दिए गए समझे जाएंगे।

(3) जहां हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थापित कोई संस्थान या निकाय विश्वविद्यालय से मान्यता चाहता है, वहां विश्वविद्यालय की शक्तियां और अधिकारिता का विस्तार, उस राज्य में प्रवृत्त विधि और उस विश्वविद्यालय, जिसकी अधिकारिता में उक्त संस्थान या निकाय स्थित है, के नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे संस्थान और निकाय पर होगा।

8. सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण.——इस अधिनियम के प्रारम्भ से सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की आस्तियां और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले समस्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे प्रारम्भ से विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन जाएंगेः

परन्तु ऐसे कर्मचारियों के विद्यमान अधिकार और सेवा की शर्तें संरक्षित की जाएंगीः

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय को उसकी सेवा के ऐसे अन्तरण से पूर्व की गई कोई सेवा विश्वविद्यालय के प्रशासन के संबंध में की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के उपबन्धों के क्रियान्वयन के विषय में कोई विवाद या कठिनाई होने पर, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कतिपय संस्थानों की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण.——सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में परस्पर तय किए गए निबन्धन और शर्तों के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संस्थानों, जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता के अन्तर्गत आते हैं, की आस्तियां और दायित्व विश्वविद्यालय को अन्तरित और विश्वविद्यालय में निहित होंगे। इन संस्थानों में इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन जाएंगेः

परन्तु,—

(क) ऊपर वर्णित संस्थानों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को विकल्प का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि क्या वे चाहते हैं या नहीं कि उनकी सेवाओं को विश्वविद्यालय में लिया जाए;

(ख) ऐसे कर्मचारियों, जो विश्वविद्यालय में सेवा का विकल्प देते हैं, के विद्यमान अधिकार और सेवा की शर्तें संरक्षित की जाएंगी; और

(ग) विश्वविद्यालय में उसकी सेवा के ऐसे अन्तरण से पूर्व ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा की गई कोई सेवा, विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में की गई सेवा इस शर्त पर की गई समझी जाएगी कि उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, में की गई सेवा के सम्बन्ध में उनका अवकाश, पेंशन और भविष्य निधि और उपदान अभिदाय की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगीः

परन्तु इस धारा के उपबन्धों के क्रियान्वयन के विषय में कोई विवाद या कठिनाई होने पर, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

10. परिदर्शन.––(1) कुलाधिपति को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी संस्थान या किसी महाविद्यालय, जिसके अन्तर्गत भवन, प्रयोगशालाएं, अभिलेख और उपस्कर भी हैं, का, तथा इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन कार्य या विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी अन्य कृत्य का निरीक्षण कराने और उसी रीति में विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित किसी संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की बाबत, जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय की सूचना, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित किसी संस्थान की दशा में, विश्वविद्यालय को या महाविद्यालय की दशा में प्रबन्ध मण्डल को देगा और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रबंध मण्डल एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच पर उपस्थित होने या सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान के निरीक्षण या जांच की दशा में, कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम, उस पर अपने विचार सहित और की जाने वाली कार्रवाई की बाबत परामर्श कुलपति को संसूचित कर सकेगा और कुलपति इसे कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखेगा।

(4) महाविद्यालय या संस्थान से सम्बन्धित निरीक्षण या जांच की दशा में, कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर अपने विचार और की जाने वाली कार्रवाई की बाबत परामर्श सहित ऐसे महाविद्यालयों या संस्थान के प्रबन्ध मण्डल को संसूचित कर सकेगा।

(5) यथास्थिति, कुलपति या प्रबन्ध मण्डल, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गई किसी कार्रवाई, या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, की सूचना कुलाधिपति को देगा।

(6) जहां, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद् या महाविद्यालय या संस्थान का प्रबन्ध मण्डल, कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है, वहां कुलाधिपति, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद् या महाविद्यालय या संस्थान के प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान का प्रबन्ध मण्डल ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

11. कुलाधिपति की विश्वविद्यालय और इसके निकायों की कार्यवाहियों या विनिश्चियों को बातिल करने की शक्ति.––कुलाधिपति, इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय या इसके किसी प्राधिकरण की कार्यवाहियों या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के विनिश्चय, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो, को बातिल कर सकेगाः

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलाधिपति, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकरण या अधिकारी से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और यदि उस द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

12. राज्य सरकार की जांच करने की शक्ति.––राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी या अभिकरण, जिसे यह निर्देशित करे द्वारा विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थानों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय पर जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार उसका परीक्षण करने के पश्चात् रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और किसी कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति का हटाया जाना भी सम्मिलित है, की संस्तुति भी कर सकेगी, यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जैसी इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट हैं और कुलाधिपति तदानुसार कार्रवाई कर सकेगाः

परन्तु ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व कुलाधिपति, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा।

13. विश्वविद्यालय के अधिकारी.––विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः–

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) प्रतिकुलपति;

(iv) संकायाध्यक्ष;

(v) रजिस्ट्रार;

(vi) परीक्षा नियन्त्रक;

(vii) वित्त अधिकारी; और

(viii) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

14. कुलाधिपति.––(1) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और इसकी सभा के सभापति होंगे और वे उपस्थित रहने पर सभा की बैठकों की और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उन्हें इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त की जाएं।

15. कुलपति की नियुक्ति.––(1) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) उपधारा (4) और (5) में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अपनी पदावधि के अवसान पर, उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु कुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के होते हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्यग्रहण नहीं कर लेता है।

(4) कोई भी व्यक्ति यदि उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या यदि नियुक्त किया जाता है तो पद पर बना नहीं रहेगा।

(5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलंबित कर सकेगा,–

(क) जहां इस धारा की उपधारा (8) के अधीन जांच अनुध्यात है या लंबित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया है; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई मामला, अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों आदि को प्रभावित करना)।

(6) निलम्बनाधीन कुलपति छुट्टी वेतन, जो कुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता है यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगाः

परन्तु यह कि जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात् किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नानुसार फेरफार करने के लिए सक्षम होगा,–

(क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण न बढ़ाई गई हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) यदि कुलाधिपति की राय में कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण बढ़ाई गई है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और

(ग) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति यह प्रमाण–पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में लगा हुआ नहीं है।

(8) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने भूल (चूक) करता है या इन्कार करता है या उसे निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए अपायकर होता है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात् और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकेगाः

परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उपधारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(9) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, एक मास के नोटिस द्वारा पद त्याग सकेगा। कुलाधिपति नोटिस की अवधि का अधित्यजन करके और राज्य सरकार के परामर्श से त्यागपत्र को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार कर सकेगा।

16. कुलपति को देय परिलाभ और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें.––(1) कुलपति को ऐसा वेतन, जैसा कि कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे, संदत्त किया जाएगा और अपनी पदावधि के दौरान वह बिना किराया दिए सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास स्थान के रख–रखाव की बाबत स्वयं कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय भविष्य निधि लाभ या अन्य किसी भत्ते का हकदार नहीं होगाः

परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है वहां उसे भविष्य निधि में अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय का अभिदाय उतने तक ही सीमित होगा जितना वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पूर्व अभिदाय करता था।

(3) कुलपति, ऐसी दर पर यात्रा भत्तों और ऐसे मापमान पर चिकित्सा खर्चों का हकदार होगा जो कुलाधिपति द्वारा नियत किए जाएं।

(4) कुलपति, अपनी सक्रिय सेवा में निभाई गई अवधि के ग्यारहवें भाग तक पूरे वेतन पर अवकाश पाने का हकदार होगा।

(5) कुलपति, अपनी पदावधि के दौरान, अस्वस्थता के आधार पर या अस्वस्थता के आधार से अन्यथा तीन मास से अनधिक अवधि के लिए बिना वेतन अवकाश पाने का हकदार होगाः

परन्तु ऐसा अवकाश उस सीमा तक, जिसके लिए वह उपधारा (4) के अधीन अवकाश का हकदार है, पूरे वेतन पर अवकाश में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

17. कुलपति के पद में रिक्ति के दौरान कार्य की व्यवस्था.––(1) अवकाश, बीमारी या अन्य कारण से कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान धारा 19 के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्त्तव्यों का अनुपालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा और यदि प्रतिकुलपति न हो तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे।

(2) कुलपति के पद में, रिक्ति की अवधि के दौरान, यदि यह भरी नहीं जाती है और कुलपति के कर्त्तव्यों का अनुपालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रतिकुलपति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जैसा कि कुलाधिपति नियुक्त करे, कुलपति के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को कुलपति की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह कुलपति के विशेषाधिकारों तथा ऐसे परिलाभों और भत्तों का हकदार होगा जैसे कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित किए जाएं।

18. (1) कुलपति, जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति से ठीक नीचे की पंक्ति प्राप्त करेगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसको संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है तब तक वह उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और इसके उचित और दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

(4) वह, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ओर वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति या तो स्वयं या उस द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के माध्यम से, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकें बुलाएगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को कार्यान्वित करने और उक्त प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के समाप्त होने पर, परिनियमों या अध्यादेशों में विहित रीति में, संकाय के सदस्यों द्वारा किए गए अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य का निर्धारण और मूल्यांकन करेगा। ऐसे

निर्धारण या मूल्यांकन पर यदि कुलपति की राय में संकाय में किसी सदस्य का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है तो वह परिनियमों या अध्यादेशों में यथा अधिकथित रीति में ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करेगा या करवाएगा।

(7) कुलपति, उनमें अनिहित शक्तियों के सम्बंध में तत्काल कार्रवाई किए जाने की किसी आपात स्थिति में कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और इसकी आगामी बैठक में किन्तु साठ दिन के अपश्चात, मामले के पुष्टिकरण के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखेगा; ऐसा न होने पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावहीन होगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई ऐसे प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगाः

परंतु कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का किसी पद पर नियुक्ति करने या समनुदेशन या किसी पदधारी का ऐसे पद या समनुदेशन से हटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का, जो परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित की जाएं, प्रयोग करेगा।

19. प्रतिकुलपति.––(1) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) उपधारा (4) और (8) में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, प्रतिकुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन पद ग्रहण करने की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अपनी पदावधि के अवसान पर, उस पद के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु प्रतिकुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक कि उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्य ग्रहण नहीं कर लेता है।

(3) प्रतिकुलपति को देय परिलाभ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अहित में नहीं बदली जाएंगी।

(4) प्रतिकुलपति के रुप में नियुक्त व्यक्ति यदि वह पदावधि या उसमें किसी सेवा विस्तार के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से सेवनिवृत्त हो जाएगा।

(5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रतिकुलपति को निलंबित कर सकेगा,–

(क) जहां इस धारा की उपधारा (8) के अधीन जांच अनुध्यात है या लंबित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया हो; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध के सम्बंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों, आदि को प्रभावित करना)।

(6) निलम्बनाधीन प्रतिकुलपति छुट्टी वेतन, जो प्रतिकुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगाः—

परंतु यह कि जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात् किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नानुसार फेरफार करने के लिए सक्षम होगा,—

(क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति के कारण न बढ़ाई गई हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप में वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) यदि कुलाधिपति की राय में, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति के कारण बढ़ाई गई है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और

(ग) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिकुलपति प्रमाण—पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(8) यदि कुलपति की राय में प्रतिकुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने में भूल (चूक) करता है या कार्यान्वयन करने से इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि प्रतिकुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में अपायकर है तो कुलाधिपति कार्यकारी परिषद् और सरकार के परामर्श के पश्चात् उसके विरुद्ध में प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई की बाबत उसको कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् प्रतिकुलपति को हटा सकेगाः

परंतु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 10 और 12 के अधीन जांच की किसी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में इस उपधारा के अधीन और कोई कार्रवाई की जानी आवश्यक नहीं होगी, किन्तु प्रतिकुलपति को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(9) प्रतिकुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। त्यागपत्र उस तारीख जिसको प्रतिकुलपति अपने पद से अवमुक्त होना चाहता है, से सामान्यतः कम से कम साठ दिन पूर्व कुलाधिपति को देगा किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी अवमुक्त कर सकेगा। त्यागपत्र, अवमुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

20. प्रतिकुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य.—(1) कुलपति के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, प्रतिकुलपति ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या कुलपति या कार्यकारी परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं।

(2) प्रतिकुलपति, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन उप—सभापति होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है तब तक वह उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

21. संकायाध्यक्ष.—प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति से नियुक्त किया जाएगा और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

22. रजिस्ट्रार.––(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार को राज्य सरकार द्वारा उन अधिकारियों में से, जिनका राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल या हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम नौ वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई अन्य अधिकारी, जो परिनियमों में विहित किया जाए, नियुक्त किया जाएगा, ऐसा न होने पर उन अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबंधों के अधीन पात्र है।

(3) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

23. परीक्षा नियंत्रक.––एक परीक्षा नियन्त्रक होगा जिसकी रजिस्ट्रार के समान हैसियत और वेतन होगा और जो रजिस्ट्रार के पद के पदधारी से स्थानांतरण या ऐसी अन्य रीति से नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

24. अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.––(1) एक वित्त अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय की वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिकारी को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाएं (सामान्य शाखा) के उन अधिकारियों, जो नियन्त्रक की पंक्ति से नीचे के न हों, में से नियुक्त किया जाएगा; ऐसा न होने पर उन अधिकारियों में से चयन द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के उपबंधों के अधीन पात्र हैं।

(3) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

25. अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.––कुलाधिपति से अन्यथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और शक्तियों, कृत्य और कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.––विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकरण होंगेः–

(i) सभा;

(ii) कार्यकारी परिषद्;

(iii) विद्या परिषद्;

(iv) संकाय;

(v) वित्त समिति; और

(vi) अन्य ऐसे बोर्ड और समितियां जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

27. सभा.––पैंसठ से अनधिक सदस्यों की एक सभा होगी। इसका गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

28. सभा की शक्तियां और कृत्य.––इस अधिनियम के उपबन्धों की अध्यधीन, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(i) विश्वविद्यालय के सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा करना और ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के सुधार और विकास के उपायों के सुझाव देना;

(ii) विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(iii) विश्वविद्यालय की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबन्धित नहीं हैं।

29. कार्यकारी परिषद्.––कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी,–

पदेन सदस्यः

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) राज्य सरकार का प्रशासनिक सचिव (वित्त) या उसका प्रतिनिधि;

(iv) राज्य सरकार का प्रशासनिक सचिव (शिक्षा) या उसका प्रतिनिधि;

(v) निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश;

(iv) रजिस्ट्रार––––––––सदस्य – सचिव।

अन्य सदस्यः

(vii) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो संकायाध्यक्ष;

(viii) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में सहबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालय का प्राचार्य होगा;

(ix) सभा द्वारा इसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी या छात्र न हो;

(x) विद्या परिषद् द्वारा इसके सदस्यों में से, विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों से भिन्न निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य;

(xi) कुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय का एक आचार्य;

(xii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य;

(xiii) परिनियमों द्वारा, विहित रीति में, एक समय पर एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला छात्रों का एक प्रतिनिधि और अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द का एक प्रतिनिधि;

(xiv) कुलाधिपति द्वारा, ऐसे मामलों जैसे कला, साहित्य, विधि, विज्ञान और प्रशासन या सामाजिक सेवा की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति;

(xv) विश्वविद्यालय से सहबद्ध महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों के सीधे निर्वाचन से चुना गया एक प्रतिनिधि;

(xvi) विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों, दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम के सहायक आचार्यों का सीधे निर्वाचन से चुना गया एक प्रतिनिधि; और

(xvii) विश्वविद्यालय के सह–आचार्यों का एक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के सभी सकन्धों जैसे स्नातकोत्तर केन्द्र और दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम जिसके अन्तर्गत इसके प्रधानाचार्य भी हैं, में से एकीकृत वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम में।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य, यथास्थिति, अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगेः

परन्तु किसी विशिष्ट निकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित या किसी विशिष्ट नियुक्ति का धारक कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति का धारक न रहने पर, सदस्य नहीं रहेगाः

परन्तु यह और कि पदेन सदस्यों से भिन्न, अन्य कोई सदस्य, यदि परिषद् से अनुपस्थिति की इजाजत बिना कार्यकारी परिषद् की तीन से अधिक आनुक्रमिक बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह कार्यकारी परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में कार्यकारी परिषद् का सदस्य बना नहीं रहेगा और जब तक कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में कार्यकारी परिषद् का सदस्य बन जाता है, तो वह दो सप्ताह के भीतर, उस हैसियत को चुनेगा जिसमें वह कार्यकारी परिषद् का सदस्य बना रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। जहां वह ऐसा चुनाव नहीं करता है वहां उस द्वारा पूर्वतर समाय में धारण किया गया पद (स्थान) उक्त दो सप्ताह की अवधि के अवसान की तारीख से रिक्त किया गया समझा जाएगा।

(4) कार्यकारी परिषद् की गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी।

(5) कार्यकारी परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबन्ध और प्रशासन (जिसके अन्तर्गत राजस्व और सम्पत्ति भी है) की भारसाधक होगी, परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामलों पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारशों के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा।

(6) कार्यकारी परिषद् की शक्तियां और कर्त्तव्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

30. विद्या परिषद्.––(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में अधिकथित की जाएः

परन्तु विद्या परिषद् की कुल सदस्यता, किसी भी दशा में, पैंसठ से अधिक नहीं होगी।

(3) विद्या परिषद्, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन, नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और शिक्षण मूल्यांकन, शिक्षा, परीक्षाओं के स्तर और तरीके और विश्वविद्यालय में

अनुसंधान अध्ययन के विहित पाठ्यक्रमों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इसको परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

(4) विद्या परिषद् को सभी शैक्षणिक विषयों पर कार्यकारी परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

31. संकाय.––(1) विश्वविद्यालय ऐसे संकायों का गठन करेगा और प्रत्येक संकाय में ऐसे अध्ययन विभाग होंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

(2) संकाय का गठन और शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

32. वित्त समिति.––(1) एक समिति होगी, इसका गठन, पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में अधिकथित की जाए। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा–शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय मामले और सेवा मामले जिसमें पदों का सृजन करना, उन्नयन करना या उनका भरना, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाना, वेतन और भत्तों का संशोधन करना भी सम्मिलित है पहले वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे, और उसके तत्पश्चात् ऐसे मामलों इसकी संस्तुतियों सहित कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखा जाएगा।

(2) यदि बैठक में किसी कार्यसूची (एजेंडे) पर सदस्यों के मध्य सहमति नहीं है या यदि कार्यकारी परिषद् किसी भी विवाद्यक पर वित्त समिति की सिफारशों से सहमत नहीं है, तो मामले को, कार्यकारी परिषद् द्वारा मामले के विवरण और वित्त समिति की सिफारशों से असहमत होने के कारणों के साथ कुलाधिपति को निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् अंतिम निर्णय देगा।

33. वार्षिक लेखे.––(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्यकारी परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखा संपरीक्षा प्रति वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तराल पर, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्टतया प्राधिकृत अभिकरण द्वारा की जाएगी।

(2) लेखों की संपरीक्षा हो जाने पर वार्षिक लेखे मुद्रित किए जाएंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, सभा को कार्यकारी परिषद् की टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन सभा को यथाप्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति, उस पर सभा द्वारा की गई टिप्पणी, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशक्यशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

34. दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार पाठ्यक्रम.––कार्यकारी परिषद् विद्या परिषद् की सिफारिशों पर अध्यादेशों में यथा अधिकथित विषयों और पाठ्यक्रमों में विभिन्न परीक्षाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा / पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण देने और इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देने और परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने की व्यवस्था कर सकेगी।

35. स्वायत्त महाविद्यालय.––(1) विश्वविद्यालय, परिनियमों में विहित रीति में, महाविद्यालय, विभाग या इकाई को, जो परिनियमों में इस निमित्त अधिकथित शर्तों का समाधान करती हों, ऐसे महाविद्यालय, विभाग या इकाई में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रम में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा और परिनियमों में विहित रीति से ऐसा महाविद्यालय, विभाग या इकाई स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जाएगा।

(2) वह रीति, जिसमें उस जिस विस्तार तक पाठ्यक्रम परिवर्तित किए जा सकेंगे और, यथास्थिति, महाविद्यालय या विभाग द्वारा संचालित परीक्षाएं प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएंगी।

36. सहबद्धता की शर्तें.––महाविद्यालय को सहबद्धता की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

37. परीक्षाएं और प्रवेश.––विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे और उन्हें यथा विहित विभिन्न डिग्रियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टताओं की प्राप्ति के लिए परीक्षाओं में प्रवेश किया जाएगा।

38. चयन समिति.––(1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) चयन समितियों का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा नियुक्तियां करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

39. संविदा नियुक्ति.––(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन प्रत्येक वैतनिक अधिकारी या शिक्षक की नियुक्ति लिखित करार के अधीन होगी जो विश्वविद्यालय को सौंपा जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और इसके किसी अधिकारी या शिक्षक अधिकारी या शिक्षक के बीच करार से उत्पन्न कोई विवाद सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक से गठित एक मध्यस्थ अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

40. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.––(1) विश्वविद्यालय, जैसे उचित समझे अपने अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिकीय कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि गठित करेगी।

(2) जहां ऐसी कोई पेन्शन, बीमा या भविष्य निधि का ऐसा गठन किया गया हो या जहां किसी महाविद्यालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन ऐसी कोई पेन्शन, बीमा या भविष्य निधि का गठन किया गया हो।

41. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.––(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए पग भी हैं, कार्यकारी परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जो उपधारा (1) के अधीन सभा को प्रस्तुत की जाए, सभा की उस एक टिप्पणी, यदि कोई हो, सहित राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो यथाशक्यशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

42. परिनियम.––इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित परिनियम सभी विषयों के लिए या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद्, और अन्य प्राधिकरण और अन्य ऐसे निकाय, जिन्हें समय–समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए, का गठन, शक्तियां और कार्य;

(ख) उक्त निकायों के सदस्यों का निर्वहन और पदों पर बने रहना जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों को पदों पर बने रहना भी है, और सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से सम्बन्धित अन्य सब विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक एवं वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्त्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा योजना की स्थापना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं का प्रदान करना;

(च) उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या समबन्धी विशिष्टियों का वापस लिया जाना;

(छ) संकायों, विभागों, छात्रानिवास, छात्रावासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं को स्थापित करना और बन्द करना;

(ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;

(झ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदक और पारितोषिक संस्थित करना; और

(ञ) अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

43. परिनियमों का बनाया जाना.––(1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(2) कार्यकारी परिषद् समय–समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या इसके पश्चात्, इस धारा में उपबन्धित रीति में, परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगीः

परन्तु कार्यकारी परिषद् किसी ऐसे परिनियम या परिनियम का संशोधन जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाला हो तब तक नहीं बना / कर सकेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और उस पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक परिनियम या परिनियमों के अभिवर्धन या संशोधन या निरसन के लिए, कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे अपने सुझावों सहित कार्यकारी परिषद् के पुनः विचारार्थ वापस भेज सकेगा। यदि कार्यकारी परिषद् इसे उसी प्ररूप और रीति में दोबारा पारित कर दे और यदि कुलाधिपति का समाधान हो जाता है कि यह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह ऐसे परिनियम, संशोधन या निरसन को नामंजूर कर सकेगा।

(4) नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधन या निरसित करने वाले परिनियम की तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी जब तक कि उसे कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

44. अध्यादेश.––(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) छात्रों को प्रवेश अध्ययन के पाठ्यक्रम और उसके लिए फीसें, उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण–पत्रों और अन्य शैक्षणिक पदकों से सम्बद्ध अर्हताएं, अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार इत्यादि प्रदान करने हेतु शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति भी है और छात्रों के निवास की दशाएं और उनका सम्यक् अनुशासन;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालयों और संस्थानों का प्रबन्ध;

(घ) धार्मिक शिक्षा देना;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की उपलब्धियां और उनकी सेवा–शर्तें तथा निबन्धन;

(च) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण; और

(छ) कोई अन्य विषय, जिसका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

(2) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों का कार्यकारी परिषद् द्वारा किसी भी समय, परिनियमों द्वारा विहित रीति से, संशोधन, निरसन या उसमें अभिवर्धन किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यादेश या संशोधन या निरसन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से उस पर अनुमति न दे दें।

45. विनियम.––(1) कार्यकारी परिषद्, कुलाधिपति की मंजूरी से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी विषयों पर, इस अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध कर सकेंगे,–

(क) उनकी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या नियत करना;

(ख) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों के अनुसार विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं;

(ग) अन्य सभी ऐसे विषयों का उपबन्ध करना, जो ऐसे प्राधिकरण के बारे में जो इस अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित नहीं किए गए हों; और

(घ) बैठक की तारीख और वहां संव्यवहारित कार्य का उनके सदस्यों को नोटिस देना और ऐसी बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना।

46. आकस्मिक रिक्तियां.––विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की सभी रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिससे उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है नियुक्त या निर्वाचित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशेष अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका पद (स्थान) वह भरता है, सदस्य रहता।

47. रिक्तियों से विश्वविद्यालय, प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.––विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की कोई कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने का कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

48. सदस्यता से हटाया जाना और उपाधियों और डिप्लोमों आदि वापस लिया जाना.––कुलाधिपति, कार्यकारी परिषद् के कम से कम दो–तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर, किसी व्यक्ति को जो किसी ऐसे

अपराध से सिद्धदोष हो, जो कार्यकारी परिषद् के विचार में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित हो या जो कलंकात्मक आचरण का दोषी हो या जिसने ऐसे आचरण किया हो जो ऐसे प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता से हटा सकेगा और उपर्युक्त किसी भी आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दी गई किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र को किसी व्यक्ति से वापस ले सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व सम्बन्धित सदस्य या व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

49. विवाद.——यदि कोई प्रश्न उन्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया है या चुना गया है या उसका सदस्य बनने का हकदार है तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

50. संक्रमणकालीन शक्तियां.——इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारी परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे, जैसा कि परिनियमों में प्रत्येक मामले में उपबंधित किया जाए, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

51. अस्थायी उपबन्ध.——इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या सरदार पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय की किसी उपाधि (डिग्री) के लिए अध्ययन कर रहा था, को उपाधि के लिए उसका पाठ्यक्रम (कोर्स), डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पूर्ण करना अनुज्ञात किया जाएगा और, यथास्थिति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी हिमाचल प्रदेश या महाविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अध्ययन के प्रास्पेक्टस के अनुसार ऐसे छात्र की शिक्षण की व्यवस्था करेगा और उसे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

52. कठिनाइयों को दूर करना.——यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए इसे आवश्यक प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

53. प्रकीर्ण.——(1) यदि विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद् और विद्या परिषद् या किसी निकाय या समिति का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी कारण से विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी नहीं रहता है, जिस हैसियत में वह निर्वाचित / नामनिर्दिष्ट हुआ था, सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या नहीं के प्रतिनिधि के रूप में किसी विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकरण का सदस्य है या कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा धारित पद के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है यदि उसकी सदस्यता की अवधि के अवसान से पूर्व वह उस अन्य निकाय का सदस्य नहीं रहता है या वह ऐसा पद धारण नहीं करता है जिसके आधार पर वह नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित हुआ था, वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा।

54. विश्वविद्यालय के किसी निकाय के गठन और कृत्यों में त्रुटि होने मात्र से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना.——यदि किसी कारणवश विश्वविद्यालय की सभा, विद्यापरिषद् या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया हो तो कार्यकारी परिषद् के लिए उन निकायों या प्राधिकरण जिनका गठन नहीं हुआ है, के कर्तव्य का निर्वहन करना विधिपूर्ण होगा और विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही इसके किसी निकाय के कृत्यों में केवल कतिपय त्रुटि या प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण, अविधिमान्य नहीं होगी।

55. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 6) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो कि, की गई किसी बात या की गई ऐसी कार्रवाई के दिन अधिनियम प्रवृत्त था।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Establishment and incorporation of the University.

4. University open to all classes, castes and creeds.

5. Objects.

6. Powers.

7. Jurisdiction of the University.

8. Transfer of assets and liabilities and of employees of the Sardar Valbhbhai Patel Cluster University.

9. Transfer of assets, libailities and of employees of certain institutions of the Himachal Pradesh University.

10. Visitation.

11. Power of the Chancellor to annual proceedings or decisions of the University and its bodies.

12. Power of State Government to enquire.

13. Officers of the University.

14. The Chancellor.

15. Appointment of the Vice-Chancellor.